संख्या:259/2015/2577जेएल/22-3-15-100(88)/2015

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 2015***

विषय: जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध 06 विचाराधीन बंदियों अन्यत्र कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-31012/सामा-1(3)/33बांदा मं0/2007, दिनांक 30-07-2015 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार, बांदा में निरूद्ध निम्नलिखित 06 (छः) विचाराधीन बंदियों को उनके सम्मुख अंकित कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति **इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि बंदियों को स्थानान्तरित किये जाने के पूर्व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1735-1739-महाराष्ट्र राज्य बनाम सईद सुहैल शेख व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार मा0 विचारण न्यायालयों की पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जायेगी** :-

क्र.स.	विचाराधीन बंदी का नाम/पिता का नाम	निरूद्धी की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहाँ स्थानान्तरित किया जाना है।
1	महेश पुत्र श्री रघुवा	जि0का0, बांदा	के0का0 फतेहगढ़
2	चांदबाबू पुत्र श्री असफाक उर्फ चुन्नन	जि0का0, बांदा	के0का0 फतेहगढ़
3	विशेश्वर पुत्र श्री राम मनोहर	जि0का0, बांदा	के0का0 वाराणसी
4	शाहरूख पुत्र श्री नजीर उर्फ प्यारे	जि0का0, बांदा	के0का0 वाराणसी
5	इरफान उर्फ लाला पुत्र श्री कल्लू	जि0का0, बांदा	के0का0 बरेली
6	वि0/एन0एस0ए0 बंदी इरफान उर्फ पप्पू पुत्र श्री असफाक उर्फ चुन्नन	जि0का0, बांदा	के0का0 आगरा

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या:259/2015/2577जेएल(1)/22-3-15-उक्तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, बांदा।
2. अधीक्षक, जि0का0 बांदा एवं वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़/वाराणसी/बरेली/आगरा।
3. गृह गोपन अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in